

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 38/2024
अनवान : -

1. कृष्ण कुमार पुत्र बिहारीलाल जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

-प्रार्थी

बनाम्

1. इन्द्रा पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. कमल कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. कमला पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. कुलदीप पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. गायत्री पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. संदीप पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
7. स्नेहा पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
8. सुशीला पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।

- असल अप्रार्थीगण

9. दोलतराम पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
10. सुमन पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
11. सोनू पुत्री मदनलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
12. आरती पुत्री मदनलाल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सुमन पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
13. पुष्कर पुत्र मदनलाल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सुमन पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :- श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक: 04/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता स0 24/25 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता स0 21/133 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 8 के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मदनलाल पुत्र बिहारीलाल का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान तरतीबी गैरसायलान संख्या 10 ता 13 है। उक्त वाद भूमि में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है इसलिए सायल को भारी परेशानी हो रही है। सायल व गैरसायलान की आपस में चिपती हुई भूमि है इसलिए सायल अपने गांव बरवाली से चलकर स्वीकृतशुदा रास्ता से होते हुए गैरसायल संख्या 1 ता 8 की भूमि रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता स0 21/133 के प0न0 386 (425/70) के किला न0 4/1 के पश्चिम दिशा की 1 बिस्वा व किला न0 7 की पश्चिम की 1 बिस्वा भूमि से होते हुए उत्तर से दक्षिण चलकर सायल अपने खेत रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता

उपखण्ड अधिकारी
नोहर


स0 24/25 के प0न0 386/425 (70) के किला न0 14 में प्रवेश करता है और यह रास्ता सदामत से चालु है तथा उक्त रास्ता को सायल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता इकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया की प्रार्थना पत्र सायल मुताबिक इस्तदुआ स्वीकार किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 9 ता 13 को अधिवक्ता प्रार्थी ने तर्क अंकित किया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जावे। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ईकबाल प्रार्थना पेश किया जा चुका है। अर्थात् प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नहीं है तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 09 ता 13 को अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तर्क अंकित किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।


अधिवक्ता अप्रार्थीगण स0 1 ता 8 ने बहस में निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नहीं है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता स0 24/25 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता स0 21/133 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 8 के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अधिवक्ता वादी का कथन है कि सायल व गैरसायलान की आपस में चिपती हुई भूमि है इसलिए सायल अपने गांव बरवाली से चलकर स्वीकृतशुदा रास्ता से होते हुए गैरसायल संख्या 1 ता 8 की भूमि रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता स0 21/133 के प0न0 386/425(70) के किला न0 4/1 के पश्चिम दिशा की 1 बिस्वा व किला न0 7 की पश्चिम की 1 बिस्वा भूमि से होते हुए उत्तर से दक्षिण चलकर सायल अपने खेत रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता स0 24/25 के प0न0 386/425 (70) के किला न0 14 में प्रवेश करता है और यह रास्ता सदामत से चालु है उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 द्वारा इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नहीं है। तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 09 ता 13 को अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तर्क अंकित किया गया है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं गैरसायलान की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।


अखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 ता 8 की भूमि रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता संख्या 21/133 के प0न0 386/425 (70) के किला न0 4/1 के पश्चिमी दिशा की 1 बिस्वा व किला न0 7 के पश्चिमी की 1 बिस्वा भूमि (उत्तर से दक्षिण दिशा में चलकर) रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा सायल की रास्ता के बदले की भूमि प0न0 386/425 (70) के किला न0 14 व 15 के मिन उत्तर में रास्ता की भूमि को छोड़कर 1-1 बिस्वा भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 8 के चिपती हुई भूमि वादी के नाम दर्ज भूमि में से कम की जाकर गैरसायल संख्या 1 ता 8 के नाम दर्ज की जावे। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से आदेश जारी किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

क्रमांक: रीडर/रास्ता/2024/982

दिनांक:- 04/10/24

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर।

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के संबंध में प्रार्थना

पत्र स0-38/2024 निर्णय दिनांक 04/10/2024

प्रकरण संख्या - 38/2024

अनवान :-

1. कृष्ण कुमार पुत्र बिहारीलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

-प्रार्थी

बनाम

1. इन्द्रा पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
 2. कमल कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
 3. कमला पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
 4. कुलदीप पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
 5. गायत्री पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
 6. संदीप पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
 7. स्नेहा पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
 8. सुशीला पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी बरवाली तहसील नोहर।
- असल अप्रार्थीगण
9. दोलतराम पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
 10. सुमन पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
 11. सोनू पुत्री मदनलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
 12. आरती पुत्री मदनलाल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सुमन पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
 13. पुष्कर पुत्र मदनलाल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सुमन पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
 14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- तरतीबी अप्रार्थीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 38/2024 अनवान कृष्ण कुमार बनाम इन्द्रा आदि में निर्णय दिनांक 04/10/2024 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो वे गैरसायल संख्या 1 ता 8 की भूमि रोही मौजा 11 एनटीआर बी तहसील नोहर के खाता संख्या 21/133 के प0न0 386/425 (70) के किला न0 4/1 के पश्चिमी दिशा की 1 बिस्वा व किला न0 7 के पश्चिमी की 1 बिस्वा भूमि (उत्तर से दक्षिण दिशा में चलकर) रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा सायल की रास्ता के बदले की भूमि प0न0 386/425 (70) के किला न0 14 व 15 के मिन उत्तर में रास्ता की भूमि को छोड़कर 1-1 बिस्वा भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 8 के चिपती हुई भूमि वादी के नाम दर्ज भूमि में से कम की जाकर गैरसायल संख्या 1 ता 8 के नाम दर्ज की जावे। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर